आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एव जलवायु परिवर्तन मत्रालय देहरादून के पत्र संख्या– 8बी/यू.सी.पी./06/84/2020/एफ.सी./1672 दिनांक 2[illegible].10.2020 [illegible] में छड़नदेव–नवाली मोटर मार्ग से रूनड़ा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.8435 है0 वन भूमि के बदले 3.687 है0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012–18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ में छड़नदेव–नवाली मोटर मार्ग से रूनड़ा तक मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 1.8435 है0 वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम रूनड़ा पट्टी पीपली तहसील कनालीछीना के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–10 श्रेणी–9(3)ड बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 2906 रकवा 0.621 है0, 2907 मध्ये रकवा 1.590 है0, 2914 मध्ये रकवा 1.476 है0 कुल 03 खेतों की 3.687 है0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार, कनालीछीना स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम कराना सुनिश्चित करें।

दिनांक जुलाई 23, 2021

(आनन्द स्वरूप)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़। दिनांक जुलाई 24, 2021

संख्या– 2131/सात– 26/2020–21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी डीडीहाट।
4. तहसीलदार कनालीछीना को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

(आनन्द स्वरूप)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

R.K
निर्देशानुसार अ0 का0 करें
29-7-2021
सुनिश्चित करें। S.A0
/7/2021
29/7/2021

नकल खतौनी गैर ज० वि० ग्राम-रूनड़ा पट्टी-पीपली तहसील - कनालीछीना
जिला पिथौरागढ़

खाता संख्या	खातेदार का नाम	मौलिक अधिकार का वर्ग	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	मालगुजारी	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं का सारांश
10	बंजर काबिल आबाद श्रेणी 9(3)ख०		1 3 5 24 क्रमशः 152 202 क्रमशः 239 249 256 क्रमशः 474 535 546 क्रमशः 711 712 क्रमशः 2903 2904 2906 2907 2914	1.264 0.135 0.163 0.059 0.705 0.138 0.136 0.356 0.150 0.330 0.339 0.290 1.552 2.145 0.983 0.988 0.621 1.755 1.489		कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश संख्या 2131/सात-26/2020-21 दिनांक जुलाई 24, 2021 मे उल्लेखित राजस्व अनुभाग के शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17-12-2012 में निहित प्राविधानो के अनुसार इड़नदेव-नवाली से रूनड़ा मोटर मार्ग निर्माण में आ रही वन भूमि के बदले उपजिलाधिकारी डीडीहाट की सहमति/संस्तुति के आधार पर सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु खसरा संख्या 2906 रकबा 0.621 हे०, 2907 मध्ये रकबा 1.590 हे० 2914 मध्ये रकबा 1.476 हे० कुल भूमि 3.687 हे० वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण दर्ज किया,
		योग	213	9.932		

महोदय, मूल ज० वि० खतौनी से नकल तैयार किया,

(सविता चन्द)
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र....पी.पी.
तहसील- कनालीछीना (पिथौरागढ)
21.01